जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी–1259 दिनांकः 31/8/09

कार्यवाही विवरण

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 83 वीं बैठक दिनांक 27.08.2009 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	83.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 82 वीं बैठक दिनांक 13.08.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के कियान्दिती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 82 वीं बैठक दिनांक 13.08.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण में एजेण्डा संख्या 82.8 एवं 82.9 में जोन द्वारा यह जांच की जावे कि प्रकरण माथुर आयोग को प्रेषित सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं? जोन से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे तत्पश्चात् राज्य सरकार से अनुमति लिये जाने की कार्यवाही की जावे। शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2.	83.2	प्लाट नम्बर ए, सी व डी (खसरा नम्बर 138, 61, 60 ग्राम केशवपुरा) अजमेर रोड जयपुर के प्रस्तावित संस्थागत भवन (इंजिनियरिंग कोलेज) के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन ने अवगत कराया कि संस्था को आंवटन दिनांक 25.10.2005 को किया गया था। सामान्यतः संस्थाओं को आवंटन वर्ग गज के आधार पर किया जाता है बीघाओं के आधार पर नहीं। जबकि संबंधित प्रकरण में बीघाओं के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की गई है अतः इस संबंध में जोन द्वारा सम्पूर्ण जांच कर राज्य सरकार से स्पष्ट आदेश प्राप्त किये जावे।	

			तब तक प्रकरण स्थगित रखा जावे।
3.	83.3	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 167 व 168, [illegible] लेन वैशाली नगर के आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा पर भी विचार विमर्श किया गया।			
4.	83.4	भूखण्ड संख्या 4, इन्द्रा प्लेस के संशोधित व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के दौरान समिति ने निम्न शर्तो के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया :– 1. लोअर ग्राउण्ड में दक्षिणपूर्वी कोने पर मानचित्र में दर्शाए गए हेचिग एरिया को अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना में शामिल किया जावे। लोअर ग्राउण्ड के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्र में रैम्प व स्टेयरकेस के बीच के हिस्से को अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना में शामिल किया जावे तथा फायर स्टेयर केस व रैम्प के ऊँपर का क्षेत्र दो जीनों के मध्य का लैंडिंग क्षेत्र है अतः निर्मित क्षेत्रफल को गणना में शामिल नहीं किया जावे। 2. भूतल पर एट्रियम जो द्वितीय तल पर कवर्ड है जिसका कोई व्यावसायिक उपयोग प्रस्तावित नहीं किया गया है अतः निर्मित क्षेत्रफल की गणना में से छूट अनुज्ञेय की जावे। 3. द्वितीय तल पर मानिचत्र में दर्शाए गए बन्द भाग जो मल्टीप्लेक्स लेवल पर कवर्ड है उसे निर्मित क्षेत्र में सम्मिलित किया जावे।

4. चतुर्थ तल पर मल्टीप्लेक्स तीन लेवल में प्रस्तावित किया गया हैं। लोअर लेवल, अपर लेवल, प्रोजक्टर लेवल तीनों को निर्मित क्षेत्र में शामिल किया गया है।
5. सभी तलों पर स्टेयरकेस लिफ्ट शॉफ्ट को निर्मित क्षेत्र गणना में छूट में लिया गया है जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा स्टेयरकेस, लिफ्ट, शॉफ्ट के क्षेत्रफल की छूट अपने पत्र दिनांक 12.08.2009 में दी गई है। लेकिन दीवारों के क्षेत्रफल को निर्मित क्षेत्रफल में सम्मिलित किया जावे।
6. कार पार्किंग की माप 2.50 x 5.95 मीटर रखी गई है जबकि विनियमानुसार 2.75 x 5.5 मीटर कार पार्किंग की माप निर्धारित है जिसे निर्धारित माप में ही अनुज्ञेय किया जावे।
7. भूखण्ड संख्या 3 द्वारा मल्टीप्लेक्स अनुज्ञेय नहीं किये जाने का निवेदन किया गया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.08.2009 से मल्टीप्लेक्स की स्वीकति प्रदान की गई है जिसको दृष्टिगत रखते हुए मल्टीप्लेक्स को अनुज्ञेय किया जावे।
8. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.08.2009 के तहत मल्टीप्लैक्स हेतु पार्किंग को जविप्रा को समर्पित किये जाने हेतु समपर्णनामा लिया जावे।
9. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उडडयन विभाग का

			अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 10. नीलामी के शर्तो के अनुसार भवन में 5 मंजिल ही अनुज्ञेय किये जाने की शर्त थी आवेदक द्वारा प्रोजेक्टर रूम को अधिकतम ऊँचाई 30.0 मीटर को रखते हुए प्रस्तावित किया गया है तथा प्रोजेक्टर रूम ऑडीटोरियम हॉल के अन्दर ही प्रस्तावित है जिसे अलग फ्लोर नहीं माना जा सकता है अतः अनुज्ञेय किया जावे। 11. नीलामी के अनुसार समस्त तलों पर कुल निर्मित क्षेत्र 8830 वर्ग मीटर अनुज्ञेय है तदानुसार मानचित्र संशोधित कर प्रस्तुत करवाये जावें। उपरोक्तानुसार शर्तो की पूर्ति होने के पश्चात् मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

31/5/09
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 83 वीं बैठक दिनांक 27.08.2009 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गायत्री राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर	सदस्य
4.	श्री नारायण लाल मीणा, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं बीआरटीएस), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
6.	श्रीमती सीमा सिंह, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
7.	श्रीमति शुची शर्मा, अति. आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
8.	श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा,जयपुर	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

1. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।

31/8/09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी–1259 दिनांक · 31/8/09

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–............., जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

31/8/09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)